

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

देवरिया
सलेमपुर
221900030203791
604223026760

जारी दिनांक: 16/11/2022

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

आदित्य अंसारी / ADITYA
ANSARI
आदिम
मुनी
पोस्टाधिकारी
सलेमपुर
देवरिया

उत्तर प्रदेश राज्य की मोमिन (असुर) जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९५४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आदित्य अंसारी / ADITYA ANSARI अनुसूचित अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से बाधित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: राजेश मौर्य, सीएससी गवर्नेंस जन सेवा केंद्र
पद: राजेश मौर्य, केन्द्र प्रभारी
स्थान: अद्वितीय, देवरिया (Other), प्रहरी, देवरिया
दिनांक: 17/11/2022

हस्ताक्षर एवं मुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक विधि से जारी किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

MISHRI
SINGH
CHAUDHAN

Digitally Signed by
MISHRI SINGH
CHAUDHAN
On Personal
Signature
UTTAR
PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सलेमपुर, देवरिया
दिनांक: 16/11/2022